भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 706

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग

706. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में प्रसंस्कृत और रेस्तरां खाद्य उत्पादों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (आमतौर पर अजीनोमोटो के नाम से ज्ञात) के बढ़ते उपयोग और इसके अत्यधिक उपभोग से स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा देश में विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट के सेवन के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य उद्योग में मोनोसोडियम ग्लूटामेट के उपयोग की निगरानी और नियंत्रण के लिए मौजूदा विनियम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे उत्पादों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने अथवा लेबल लगाने की सख्त अपेक्षाओं सहित उनके सुरक्षित उपभोग स्तर को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अनुसार एक अनुमत योजक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों में मान्य विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) स्तर (अपना वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संभव स्तर तक सीमित) पर किया जाना है। साथ ही, खाद्य उत्पादों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट के अनुमेय उपयोग की सीमाएँ उपरोक्त विनियमन में निर्धारित की गई हैं।

संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)/विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) खाद्य योजकों पर विशेषज्ञ समिति (जेईसीएफए) द्वारा तैयार किए गए विष-विज्ञानी मोनोग्राफ के अनुसार, अनुमत उपयोग स्तरों पर ग्लूटामेट (मोनोसोडियम ग्लूटामेट सहित) का कुल आहार संबंधी सेवन कोई स्वास्थ्य खतरा पैदा नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुसार, खाद्य उत्पाद में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक योजक को उत्पाद लेबल पर घोषित किया जाएगा। खाद्य उत्पादों का चयन करते समय सूचित विकल्प बनाने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उक्त विनियमन की अनुसूची II के खंड 4(4) में यह अनिवार्य किया गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट युक्त प्रत्येक खाद्य पैकेज और उससे संबंधित विज्ञापन पर एक आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी और घोषणा अंकित की जाएगी, अर्थात: -

- इस पैकेज में (खाद्य पदार्थ का नाम).......... मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया गया है
- 12 महीने से कम उम्र के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं है।

******